नम्बर व ता. अहव
जो इस हुक्म
तामील में जारी हुए

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 06/2022

बउनवान

दिलीप मीणा आयु 21 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर दत्तक पुत्र श्री रामकरण, जाति मीणा, निवासी ग्राम बरानी तहसील बारां जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

1. रतन विद्या आयु 40 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामकरण पत्नि श्री रामावतार जाति मीणा निवासी सीमलिया, तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. मुकलेश आयु 35 वर्ष पुत्री स्व0 श्री रामकरण पत्नि श्री पुष्पचन्द जाति मीणा निवासी मेलखेडी तहसील व जिला बारां (राज0)
3. ममता आयु 19 वर्ष पुत्री स्व0 श्री रामकरण, जाति मीणा निवासी ग्राम बरानी तहसील व जिला बारां (राज0)
4. बद्री बाई आयु 60 वर्ष पत्नि स्व0 श्री रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बरानी तहसील व जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

(रेंस्पोडेंट्स)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 581 व 582 दिनांक 26.07.2021
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :- 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एडवोकेट **(अपीलांट)**
2. श्री महेश प्रकाश गौतम एडवोकेट **(रेस्पो.कम 1 ता 4)**

निर्णय दिनांक 04.11.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि खातेदार रामकरण, रामेश्वर पुत्रगण श्रीकृष्ण, सुल्तान पुत्री श्रीकृष्ण के संयुक्त खाते की ग्राम बरानी की खाता संख्या 201 की आराजी खसरा नंबर 275 रकबा 0.16 है., खसरा नंबर 28 रकबा 1.31 है., खसरा नंबर 282 रकबा 0.01 है., खसरा नंबर 283 रकबा 0.03 है., खसरा नंबर 29 रकबा 1.17 है., खसरा नंबर 362 रकबा 0.49 है., खसरा नंबर 363 रकबा 0.54 है. कुल किता 7 कुल रकबा 3.71 है. एवं खाता संख्या 202 की आराजी खसरा नंबर 374/655 रकबा 0.43 है. स्थित है। रामकरण द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलांट को गोद लिया गया। रामकरण की मृत्य उपरान्त समस्त धार्मिक संस्कार अपीलान्ट द्वारा किये गये है। मृतक रामकरण द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलान्ट को गोदपुत्र मानते हुए एक वसीयतमाना दिनांक 08.03.2017 को आलेखित करवाया जो दो अनुप्रमाणित साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया गया है। उक्त वसीयतनामा रामकरण का अन्तिम वसीयतनामा है। वसीयतनामें में यह भी लिखा गया है कि उनके कोई पुत्र संतान पैदा न होने ... ममता पुत्री के पैदा होने के करीब 9 साल बाद वंश को आगे बढाने ... ग्यारस के दिन पत्नि की सहमति से जाति बिरादरी रिश्तेदारों ... को गोद लेकर ... गया था, तभी से अपीलान्ट पुत्रवत रह रहा है। रामकरण की मृत्यु होने के ... उक्त वसीयतनामे के आधार पर अपीलांन्ट द्वारा उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम करने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच वाके माल बरानी व कोटडी पाठेडा की आराजी में विरासत के आधार पर दिनांक 05.05.2021 को आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

पारित कर रेस्पोडेन्टस कम 1 ता 4 का नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया जिसके आधार पर ग्रम बरानी की आराजी में नामांतकरण संख्या 580, 581, 582 दर्ज किये गये। अपीलांट के द्वारा उक्त आदेश से पीडित होकर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के यहां प्रस्तुत अपील प्रकरण संख्या 5/2021 अंतर्गत धारा 75(1) एफ भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 09.11.2021 को आदेश पारित कर तहसीलदार बारां का विरासत के आधार पर खोले जाने वाले नामांतकरण बाबत आदेश निरस्त कर दिया गया। परन्तु तहसीलदार बारां द्वारा उक्त आदेश की पालना में मात्र राजस्व रेकार्ड मे न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के आदेश का नोट अंकित किया तथा नामान्तरण को निरस्त नहीं किया। राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 4 का नाम बदस्तूर खातेदार चला आ रहा है। अपने नाम का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 4 उक्त जमीन को रहन, बय हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा तृतीय पक्ष का हित उत्पन्न करने के लिये प्रयासरत है। जिनका वैधानिक रूप से कोई अधिकार नही प्राप्त नही है। जबकि मौजूदा कानून के अनुसार जिस आदेश के आधार पर नामांतकरण खोला गया है था वह आदेश निरस्त होने के उपरान्त नामांतकरण को स्वतः ही खारिज कर देना चाहिए, परन्तु तहसीलदार बारां द्वारा उक्त नामांतकरण को निरस्त नही किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोंडेट्स मीणा जाति से है। रेस्पोंडेट्स कम 1 ता 3 मीणा जाति से होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) लागू नही होती है। जिसके तहत शादी शुदा पुत्रियों को नाता प्रथा प्रचलित होने के कारण पुत्र की मौजूदगी में पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार नही दिये जा सकते। अपीलांट गोदपुत्र होने के नाते पुत्र की भांति समस्त अधिकार प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तहसीलदार बारां का द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के आदेश दिनांक 09.11.2021 की पालना न करने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 581 व 582 दिनांक 26.07.2021 दिनांक 13.08.2021 ग्राम कोटडी पाठेडा निरस्त फरमावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खातेदार रामकरण पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा की मृत्यु हो जाने पर अपीलांट द्वारा बहैसियत गोद पुत्र एवं वसीयती उत्तराधिकारी उक्त भूमि का नामान्तकरण अपीलांन्ट के नाम करने की प्रार्थना तहसीलदार बारां के यहां की गई। तहसीलदार बारां द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय दिनांक 05.05.2021 पारित कर दिया गया। अपीलान्ट व रेस्पोंडेट्स मीणा जाति से है। जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) लागू नही होती है। अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2021 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के यहां प्रस्तुत अपील में माननीय न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2021 को आदेश दिनांक 09.11.2021 से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि अनुसार निर्णय करने हेतु रिमांड कर दिया। दौराने अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामांतकरण खोला जाकर निर्णय दिनांक 05.05.2021 अनुसार दर्ज कर तस्दीक कर दिया। अपीलान्ट व रेस्पोंडेट्स मीणा जाति से होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) लागू नही होती है। मीणा जाति में शादी शुदा पुत्रियों को नाता प्रथा प्रचलित होने के कारण पुत्र की मौजूदगी में पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार नही दिये जा सकते। अपीलांट द्वारा गोदपुत्र एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

न्यायालय जिला कलेक्टर

वसीयती उत्तराधिकारी होने के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में घोषणा का वाद प्रकरण संख्या 142/2021 पेश कर रखा है जो जैरकार है। नामान्तरकरण समरी ट्रायल एवं फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसके आधार पर राईट्स तय नहीं किये जा सकते, पक्षकारान के अधिकार मूल वाद में तय होंगे। तब तक विधिक दृष्टांत अपीलाधीन नामांतरण का अस्तित्व नहीं है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरआरडी 2014 पृष्ठ सं. 213 बउनवान कल्याण व अन्य बनाम नानगा व अन्य, आरआरडी 2002 पृष्ठ सं. 31 बउनवान श्री बाई बनाम पान बाई व अन्य, आरआरडी 2009 पृष्ठ सं. 303 श्रीमति पार्वतीदेवी व अन्य बनाम श्रीमति गुल्लीदेवी व अन्य, आरआरडी 2007 पृष्ठ सं. 471 बउनवान श्रीमति केशान्ति व अन्य बनाम रामदास की छायाप्रतियां पेश की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 581 व 582 दिनांक 26.07.2021 दिनांक 13.08.2021 ग्राम कोटडी पाठेडा निरस्त फरमावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि रेस्पोडेन्टस क्रम 1 ता 4 खातेदार रामकरण मीणा के विधिक वारिसान हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.05.2021 तथा नामान्तरण तस्दीक किये जाने की तिथि को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार वाद लम्बित नहीं था। अपीलांट द्वारा वाद बाद में पेश किया गया है। अपीलांट का यदि मृतक रामकरण की सम्पत्ति में कोई अधिकार हैं तो वे जैरकार वाद में ही तय होगें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने विधिक दृष्टांत आरबीजे 2020 पृष्ठ संख्या 1 बउनवान पाखरसिंह बनाम किस्तूरीदेवी आदि, पृष्ठ सं. 301 बउनवान चांदकंवर व अन्य बनाम भीमसिंह व अन्य, आरबीजे 2021 पृष्ठ सं. 394 बउनवान मु. रतनबाई बनाम बत्तूलाल की छायाप्रतियां पेश कर अपील अपीलांट खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 09.11.2021 अनुसार अपीलाधीन नामान्तरण नल एण्ड वोईड हो गया। यदि उक्त नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जाता है तो रेस्पोडेन्टगण आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देगें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 581 व 582 दिनांक 26.07.2021 दिनांक 13.08.2021 ग्राम कोटडी पाठेड़ा निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली तथा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.2021 के आधार पर दर्ज किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 09.11.2021 से खारिज किया गया। अतः इसके आधार पर दर्ज नामांतकरण भी स्वतः ही निरस्त हो जाता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम कोटड़ी पाठेड़ा के नामान्तरण संख्या 581 व 582 दिनांक 26.07.2021 दिनांक 13.08.2021 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रे[illegible] जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार वाद के निर्णय [illegible] नामांतकरण दर्ज करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04.11.2022 को [illegible]या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)